

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक: 2084/14-1

दिनांक,

एटा, मार्च 24, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय

Proposed forest land diversion of protected forest for strengthening and widening of NH 91 (Aligarh to Kanpur section) from chainage 186.000 km to 229.000 km having extent 65.495 ha with removal of 4,940 trees & 858 plants total 5,798 numbers -reg

संदर्भ

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/12/2018/एफ0सी0/186 दिनांक 15.03.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा उक्त प्रस्ताव में 1 से 7 तक लगाई गयी आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर लिया गया है विवरण निम्नानुसार है-

आपत्ति	निराकरण
1 Three proposals FP/UP/ROAD/24596/2015, FP/UP/ROAD/23288/2015 and FP/UP/ROAD/22374/2016 appears to be part of widening of National Highway 91 and total extent of diversion is more than 100 ha which requires site inspection from Regional Office, MoEF&CC as per guidelines of FCA 1980.	मुख्य वन संरक्षक, MoEF&CC, लखनऊ के साथ संयुक्त निरीक्षण दिनांक 20 व 21 मार्च, 2018 को कर लिया गया है।
2 There exists a rounding off error in totalling extent of village wise forest area at B 2.3 in part I.	यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट 1 के बी 2.3 को संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3 As per GIS DSS analysis of proposed forest land for diversion, following issues need rectification : a) The area of proposed forest diversion is 56.52 ha whereas the proposal is submitted for 65.495 ha. Either kml files are erroneous or calculation of area is incorrect b) Overlay of kml files of proposed forest land diversion on Google Earth image shows lateral shift.	a) संशोधित के0एम0एल0 & DGPS Map संलग्न हैं व ऑनलाइन भी अपलोड कर दी गयी है। b) kml files संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है।
4 Benefit Cost analysis of the proposal is not as per latest guidelines of MoEF&CC. This needs revision.	यूजर एजेन्सी द्वारा नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार Cost Benefit analysis तैयार किये गये हैं। (पृष्ठ संख्या 24- से 46- तक पर संलग्न)
5 In land schedule prepared for forest land calculation, one additional column for balance available width of PF after deducting for proposed width for diversion shall be provided.	याचक विभाग द्वारा शपथ -पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है, जो कि Ro MoEF&CC द्वारा चुटियों के निवारण हेतु मान्य है।
6 As per GIS DSS analysis of proposed compensatory afforestation, following issues need rectification: a) Uploaded kml files for CA at 13(i)-3&4 are not accessible and showing error. b) The extent of CA proposed suitable for plantation is 128 ha only. One 4 ha patch is a water body. An additional patch of extent more than 3 ha is needed to meet the shortfall.	a) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु के0एम0एल0 फाइल संशोधित कर अपलोड कर दी गयी है। b) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 24A से 24B तक संलग्न है।
7 Site Inspection Report of DFO mentions translocation of 201 number of Ficus trees. a) A detailed estimate along with suitable location for translocation shall be submitted by the concerned division. b) Undertaking from user agency is needed to fund the proposal. c) State Government shall specifically recommend the additional proposal.	a) सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है। b) यूजर एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई अंडरटेकिंग की मूल प्रतियां संलग्न हैं। C) कार्यवाही उ0प्र0 सरकार द्वारा किया जाना है।

उक्त बिन्दुओं की निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की चार प्रतियां यथोचित कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

(संजीव कुमार शर्मा)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक

/14-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि :-

1. नोडल अधिकारी / मुख्य वन संरक्षक, एफ0सी0एक्ट 1980 उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार शर्मा)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

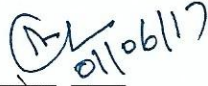
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या- 91)

आज दिनांक 01.06.2017 को वन विभाग की ओर से श्री एस0के0सक्सैना, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, श्री सुरेश चन्द्र, क्षेत्रीय वन अधिकारी, एटा तथा श्री सुधेश भारती, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, सा0वा0प्रभाग एटा द्वारा श्री पी.पी.सिंह, उप प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अलीगढ़ के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 कि0मी 186 से 229 का एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रस्तावित 4 लेन चौड़ीकरण के वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव के संदर्भ में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (पार्ट-1) के सापेक्ष निरीक्षण में पाया गया कि उक्त प्रस्तावित मार्ग कि.मी. 195 से 196 के मध्य एन.एच.-91 से हटकर बांयी तरफ निचली गंग नहर एल.जी.सी. पर पुल का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें संरक्षित वन भूमि संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। इसी प्रकार एटा शहर बाईपास एटा-कासगंज मार्ग कि.मी. 2 से 3 एवं एटा-अलीगंज मार्ग पर कि.मी. 3 से 4 के मध्य गुजर रहा है, इन मार्गों पर प्रस्तावित फ्लाई ओवर के निर्माण एवं सम्पर्क मार्गों में संरक्षित वन भूमि एवं उसमें स्थित वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इनको प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है।

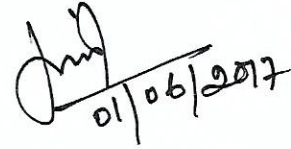
उक्त के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (पार्ट-1) जो आन लाइन लोड हो चुका है, को वापस कर संशोधित प्रस्ताव तैयार कर आन लाइन लोड कराना होगा।



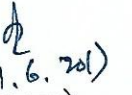
सुधेश भारती
उप क्षेत्रीय वन अधिकारी
सा0वा0प्रभाग, एटा



सुरेश चन्द्र
क्षेत्रीय वन अधिकारी
एटा



पी.पी.सिंह
उप प्रबन्धक
एन.एच.ए.आई.
अलीगढ़।



एस.के.सक्सैना
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।